APP-A
Crim-1

FORM No .III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम आहोर

डूंगसिंग पुत्र हीरा कौरा मारू कुम्हार नि० भूति बनाम मेमा पुत्र किशनाजी कौरा माली निवासी भूति

किस्म मुकदमा U/S 212 R.T. Act नं. 24 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4-3-15	प्रार्थीगण द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act के तहत पेश किया गया है अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण द्वारा अंतरिम आदेश निषेधाज्ञा हेतु निवेदन करने पर इन्हे सुना गया। जिसके आधार पर अंतरिम आदेश निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक इस आशय की जारी की जाती है, कि सरहद मौजा भूति तहसील आहोर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 363, 364, 365 कुल रकबा 2.36 हैक्टर पर दोनो पक्षकारान् किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करवाये तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनायी रखे। तहसीलदार आहोर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली आगेदा दिनांक 26-3-15 को पेश हो।	

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला–जालोर)

Scanned by CamScanner

9-7-19 पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थी वकील गैर हाजिर है।

अप्रार्थीगण गैर हाजिर है। चूंकि वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी को रूबरू कर तीन मर्तबा आवाज दिलाई गई मगर बिना पाबंद जाहिर किये प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता गैर हाजिर है। अतः प्रार्थी एवं उनके अभिभाषकगण की अग्रिम पैरवी में CPC आर्डर 9 रूल 5 के तहत खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिलदफ्तर होकर नम्बर से कम है।

मेरे इजलास सुनाया गया।

9/7/19

प्रभान्त शर्मा
RAS

सहायक कलेक्टर एवं बी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner